of Andhra Pradesh alongwith borders of Madhya Pradesh and Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) to (c) Border Roads Organisation is not laying roads in the forest areas of Andhra Pradesh. Discontentment among Defence personnel over Fifth Pay Commission report

1825. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that great discontentment is brewing among the Defence services personnel over the Fifth Pay Commission's recommendations;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the measures Government propose to take to tackle the matter especially in view of the fact that young persons in substantial number are not coming forward to join Defence services and large number of the vacancies in the commissioned cadres are lying unfilled?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) to (c) Government have received the representation of the three Services on the recommendations of the Fifth Pay Commission. Their view points will receive due attention from the Government while deciding upon the recommendations of the Fifth Pay Commission.

भूतपर्व सैनिकों के लिए नई योजना

1826. **श्री मूलचन्द मीणा**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई नई योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग)इस समय देश में कुल तिने भूतपूर्व सैनिक है, और 1996-97 दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन0वी0एन0 सोमू) : (क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एक लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। कई योजनाएं पहले ही लागू की गई है। इन योजनाओं मे सरकारी नौकरियों के आरक्षण, एवं रोजगार उद्यम लगाने के लिए ऋण/वित्तीय सहायता दिया जना, सेवानिवृति अथवा सेवामुक्ति के पश्चात रोजगार पाने की योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, युद्ध के दौरान निशक्त हुए सेना कार्मिकों आदि के लिए उत्पाद एजेंसियों के आबंटन में आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक निगमों, भूतपूर्व सैनिक कोयला एवं ततरल पेट्रोलियम गैस परिवहन एजेंसियों के माध्यम से रोजगार के अवसर, आदि संबंधी योजनाएं शामिल हैं। पुनर्वास महानिदेशक भी विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी संगठनों में भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त करने वाली सुरक्षा एजेंसियों को प्रायोजित करते हैं।

2.30 सितबर, 1996 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में कुल 13,38,200 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे। प्रतिवर्ष औसतन 15-16 हजार भूतपूर्व सैनिक सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्त किए जाते हैं अथवा स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से उनकका पुनर्वास किया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जाएगा उनकी ठीक-ठीक संख्या बता पाना संभव नहीं है।

Increase in the rent for the land used by Defence forces in Jammu and Kashmir

1827. SHRI SHARIEF-UD-DIN-SHARIQ: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering increase in the rent of the land which have come under the use of Defence forces in Jammu and Kashmir from 1947;

(b) if so, whether the rent has been paid to the land owners according to the present market rates;

(c) the number of rent claims of the same nature pending before his Ministry and the total amount involved in the